

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत हामड इलेसर एव SDO मुकाम वायतु

रोसे देवी बनाम हरशु देवी 02721

किस्म मुकदमा सी.आवे. 111, 128 R.R. act नं. 87/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.03.22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>नरहर पुनड</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 R.R. act</u> राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तालब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12.04.22</u> को पेश हो।	
12.4.2022	<u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी</u> <u>गोपे के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त</u> <u>जिमे तामिल पत्रावली विचा गद्य।</u> <u>विप्रार्थीगो वापसु तामिल निनुडयानित।</u> <u>स्वाधालय समग्र लीन काट शावाज</u> <u>लागई गई फिलिम शावाज 5.45 pm पर</u> <u>लागई गई विप्रार्थीगो टवके था 3.15।</u> <u>कोर के कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं</u> <u>हुकम लिया जग विप्रार्थीगो के विरुद्ध एड-</u> <u>वटम्य शर्कवादी तामिल में लाई जारी है/अमल</u> <u>पान्ते कइस पत्रावली दिनांक 19/04/2022 को</u> <u>पेश है/म</u>	

सहायक कलक्टर
(SDO) वायतु

सहायक कलक्टर
(SDO) वायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 505

दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गेरोदेवी पत्नि खेमाराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी,
पटवार मण्डल कोलु,
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. हरखुदेवी पत्नि चेनाराम वगैरा 10,
जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी,
पटवार मण्डल कोलु,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 87 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा -नरसाली नाडी, पटवार मण्डल - कोलु, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 1046/880 रकबा 8.1224 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट प्रेष करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिस)
सहायक पुलिस
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO)

दिनांक : 28/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 506 - 510

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गेरोदेवी पत्नि खेमाराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री हरखुदेवी पत्नि चेनाराम वगैरा 10,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु